Delay in Power Projects in Uttar Pradesh

1337. SHRI AMAR SINGH: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether Government are aware that fate of eight power projects cleared during the President Rule in U.P. hangs in balance due to inordinate delays in their finalisation by the U.P. Government;

(b) if so, whether Government have taken up the matter with U.P. Government to ascertain the reasons for delay;

(c) if so, what are the details of the reasons stated by the State Government; and

(d) what is the reaction of Government of India in this regard thereto?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER (SHRI YOGINDER K. ALAGH): (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

विधुत के पारेषण में होने वाली क्षति के संबंध में तुलनात्मक प्रतिशतता

1338. **श्री नागमणि**:

श्री ईश दत्त यादव:

क्या विधुत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस समय देश में विधुत के पारेषण तथा वितरण में विधुत क्षति का प्रतिशत पड़ौसी देशों की तुलना में बहुत अधिक हैं;

(ख) यदि हां, तो विधुत क्षति के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं

(ग) विधुत क्षति के प्रतिशत को कम करने के मार्ग में क्या बांधाए आ रही है और

(घ) सरकार इस संबंध में क्या प्रयास कर रही हैं?

विज्ञान और प्रोघौगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विधुत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र कुमार भगतराम अलद्य) : (क) और (ख) वर्ष 1992 के दौरान बंगलादेश , नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका तथा भारत में पारेषण एवं वितरण हानियां निम्नवत रही:

बंगलादेश	-	39.09
नेपाल	-	29.38
पाकिस्तान	-	20.32
श्रीलंका	-	18.26
भारत	-	21.80

(ग) देश में पारेषण एवं वितरण हानियों की स्थिति में सुधार लाने में ये बाधाएं आ रही हैं:-

(i) कमजोर एवं अपर्याप्त उप-पारेषण तथा वितरण प्रणाली का होना;

(ii) देश में अत्याधिक ग्रामीण विघुतीकरण कार्यक्रम आरम्भ किए जाने के परिणामस्वरूप सहायक पारेषण तथा उप-पारेषण प्रणाली को सशक्त बनाए बिना लम्बी लाइनों तथा वितरण नेटवर्क का विस्तार किया जाना;

(iii) अत्यधिक रूपान्तरण अवस्थाओं के परिणामस्वरूप पारेषण हानियों के घटकों में वृद्वि होना

(iv) अनुचित भार प्रबन्धन के कारण प्रणाली पर अधिक भार पड़ना;

(v) ग्रामीण क्षेत्रों में पम्पिंग लोड तथा शहरी क्षेत्रों में एअरकंडिशनरों, कूलरों तथा औघोगिक लोडो और लेड़िग बिन्दुओं पर अपर्याप्त प्रतिकारक, प्रतिपूर्ति के कारण न्यून बैद्युत घटक;

(vi) निर्माणक कार्यो की अन्य गुणवत्ता तथा उपस्करों का अपर्याप्त रखरखाव किया जाना;

(vii) कुछ राज्यों में कृषिगत पम्पों तथा समाज के कमजोर वर्गो के लिए अमीटरीकृत विघुत आपूर्ति किया जाना, और

(viii) ऊर्जा की चोरी व दुरूपयोग किया जाना।

(घ) तकनीकी पारेषण एवं वितरण हानियों को कम करने के लिए के.वि.प्रा. ने निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्वान्त जारी किए हैं:-

(क) प्रचालक बोल्टता को बढ़ाना;

(ख) एल टी लाइनों की लम्बाई में कमी लाना;

भार केन्द्रों के समीप ट्रांसफार्मरों को स्थापित करना;